

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा श्री सीताराम सिंह (आई0डी0-जे 9700), कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय के विरुद्ध बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय के अंतर्गत टूटान स्थलों पर कराये जा रहे बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में लापरवाही बरतने, उक्त कार्य के संबंध में जिला प्रशासन को भ्रामक सूचना दिये जाने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने एवं उक्त टूटान स्थल की मरम्मत निमित्त कार्यरहित में बुलाये जा रहे संवेदक को दिक्प्रमित (Misguide) करने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित किया गया है, जिसके आलोक में अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के गै0स0प्रे0 सं0-160 दिनांक-20.06.2025 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

2. मामले की गंभीरता के आलोक में सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) में निहित प्रावधानों के तहत श्री सीताराम सिंह (आई0डी0-जे 9700), कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, गया निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह0/-
(कुमुद रंजन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 1260 / पटना, दिनांक- 20-06-2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता (आई0टी0), आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-12, 13, 14, 16 एवं 23, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, गया/श्री सीताराम सिंह (आई0डी0-जे 9700), कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव